पत्रांक-फार्म-अनुभाग / 2014-15/ - 933 / 1415105 / वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश
(फार्म-अनुभाग)
लखनऊ :: दिनांक :: 26 दिसम्बर, 2014

- आदेश -

परिपत्र संख्या-विधि-4(1) अधिनियम/ नियमावली/2012-13/ 1125/ वाणिज्य कर दिनांक 07-11-2012 के अन्तर्गत CST फार्म्स को डाउनलोड किये जाने के लिये यह व्यवस्था की गयी है कि सम्व्यवहार से आच्छादित कर अवधि समाप्त होने के बाद फार्म-एफ व फार्म-आई प्रत्येक माह की अन्तिम तिथि पर तथा फार्म-ई-1 एवं फार्म-ई-2, फार्म-एच तथा फार्म-सी बिल नम्बर एवं तिथि अंकित करने के उपरान्त त्रैमासिक रूप से जेनरेट / डाउनलोड किये जा सकते है | विभिन्न व्यापारी संगठनों एवं कई व्यापारियों द्वारा लगातार यह मॉग की जाती रही है कि उन्हें वाणिज्य कर कार्यालय से केन्द्रीय बिक्री कर के प्रिन्टेड फार्मो को प्राप्त करने में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार काफी समय लगता है एवं कठिनाई तथा असुविधा होती है । अत: व्यापारिक संगठनों की मांग और उक्त CST प्रपत्रों की कर अवधि के पूर्व आवश्यकता तथा केन्द्रीय बिक्रीकर (उत्तर प्रदेश) (तृतीय संशोधन) नियमावली-2008 के नियम-8 के उपबन्धों के आलोक में उक्त परिपत्र में वर्णित व्यवस्था को परिमार्जित कर **CST प्रपत्रों को केन्द्रीय सम्व्यवहार सम्पन्न होने के तत्काल बाद से जेनरेट / डाउनलोड कर प्रयोग किये जाने की निम्नवत व्यवस्था प्रभावी की जाती है |**

2- रु0 50 लाख से अधिक टर्नओवर वाले संव्यवहारियों जिनके लिये ई-रिटर्न अनिवार्य है, को केन्द्रीय बिक्री कर के प्रिन्टेड फार्म प्राप्त करने में आने वाली समस्या से छुटकारा दिलाने के उद्देश्य से उक्त Online Generation of central forms की सुविधा को परिपत्र जारी होने के दिनांक से ऐच्छिक तथा दि0 01-02-2015 से अनिवार्य रुप से उपलब्ध कराया जाता है । माह अक्टूबर 2014 एवं वित्तीय वर्ष 2014-15 के तृतीय त्रैमास में तथा उसके उपरान्त किये गये केन्द्रीय संव्यवहारों पर यह व्यवस्था लागू होगी । इस व्यवस्था के अन्तर्गत जनहित में यह भी सुविधा अनुमन्य की जाती है कि प्रचलित कर निर्धारण अवधि से एक कर निर्धारण अवधि पूर्व तक के सम्पन्न केन्द्रीय सम्यवहारों के बिल्स, इन्वाइस आदि के आधार पर भी उक्त CST फार्म्स प्रचलित कर अवधि में भी जेनरेट / डाउनलोड किये जा सकेंगे ।

3- केन्द्रीय बिक्रीकर अधिनियम से सम्बन्धित फार्म प्राप्त करने के लिए व्यापारी को विभागीय वेबसाइट पर E Forms / E Sancharan के लिए एक बार रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होगा । इसके लिए विभागीय वेबसाइट पर E Forms / E Sancharan Registration के लिंक पर क्लिक किया जाएगा । व्यापारी को अपना TIN अंकित करने पर फर्म से सम्बन्धित विवरण वेबसाइट पर उपलब्ध हो जाएगा । इसके पश्चात जिन फॉर्म्स को डाउनलोड किया जाना है उनके सम्मुख स्थित चेक बॉक्स पर क्लिक किया जाएगा, और फिर व्यापारी द्वारा विभाग में सूचित किया गया ई-मेल आई डी, मोबाइल नंबर तथा PAN अंकित किया जायेगा । इसे SUBMIT करने पर यह सूचना सम्बन्धित कर निर्धारण अधिकारी के लॉगिन आई0डी0 पर उपलब्ध हो जायेगी, किन्तु व्यापारी द्वारा सम्बन्धित एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल कर तथा अधिकृत हस्ताक्षरकर्ता द्वारा हस्ताक्षर करके सम्बन्धित जोन / सम्भाग / मण्डल कार्यालय के व्यापारी सुविधा केन्द्र में सात दिन के अंदर जमा करना अनिवार्य होगा । कर निर्धारण अधिकारी द्वारा अपने लॉगिन आई0डी0 पर उपलब्ध सूचना एवं व्यापारी सुविधा केन्द्र में उपलब्ध कर दी गयी हार्डकॉपी से मिलान कर संतुष्ट होकर ऑनलाइन अनुमोदन किया जायेगा । इसके पश्चात व्यापारी के रजिस्टर्ड ई-मेल तथा मोबाइल पर पासवर्ड प्रेषित हो जायेगा जिसका प्रयोग कर CST फार्म्स की डाउनलोडिंग की जा सकेगी ।

4- जिन व्यापारियों को पूर्व में ई-संचरण एवं CST फॉर्मो या केवल CST फार्म्स की डाउनलोडिंग के लिए अनुमति प्राप्त है उनको वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन की आवश्यकता नहीं होगी। उनके द्वारा पूर्व में प्रयोग किये जा रहे लोगिन से ही CST फॉर्म जेनरेट / डाउनलोड किये जा सकते हैं। जिन व्यापारियों द्वारा पूर्व में केवल E Sancharan की सुविधा प्राप्त की गयी है उनको CST फॉर्म डाउनलोड करने के लिए ऑनलाइन आवेदन करना होगा तथा कर निर्धारण अधिकारी द्वारा ऑनलाइन अनुमोदन के पश्चात CST फार्म के जेनरेट / डाउनलोडिंग की सुविधा अनुमन्य होगी। इसी प्रकार यदि व्यापारी को CST फॉर्म जेनरेट करने के लिए कमोडिटीज add करनी हैं तो उसे ऑनलाइन अमेंडमेंट के माध्यम से CST पंजीयन प्रमाण पत्र में अमेंडमेंट कराने के उपरान्त प्रस्तर-3 में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार रजिस्ट्रेशन कराना होगा।

5- व्यापारियों द्वारा लॉगिन करने के पश्चात जिन कमोडिटीज के लिए CST रजिस्ट्रेशन लिया गया है वह कमोडिटीज मेन मेन्यू में उपलब्ध हो जाने की व्यवस्था सॉफ्टवेयर में की गयी है। यदि किसी व्यापारी की कमोडिटीज की फील्ड Blank दिख रही है या Database में उपलब्ध CST Commodities CST पंजीयन सर्टीफिकेट से भिन्न है तो व्यापारी को सम्बन्धित कर निर्धारण अधिकारी के समक्ष पंजीयन प्रमाण पत्र (फार्म-B) के साथ आवेदन करना होगा। माड्यूल में CST Backlog Entry की सुविधा तथा फार्म-B को Scan कर Upload करने की सुविधा Sector CTO तथा Sector AC दोनों के Login पर उपलब्ध रहेगी, किन्तु Disposal Sector AC के Login पर रहेगा। कर निर्धारण अधिकारी के द्वारा कमोडिटीज के अंकन के पश्चात व्यापारी को CST कमोडिटीज तथा कमोडिटी कोड की सूची मेन मेनू में उपलब्ध हो जाएगी और वह प्रस्तर-6 में वर्णित प्रक्रिया के अनुसार CST फार्म डाउनलोड कर सकेंगे

6- प्रस्तर-3 के अनुसार नये पंजीकृत व्यापारियों या संशोधित / परिवर्धित वस्तु वाले व्यापारियों के कर निर्धारण अधिकारी के अनुमोदन के पश्चात व्यापारियों द्वारा लॉगिन करते ही उनके मेनू ऑप्शन में, जिन फॉर्मो के लिए अनुमोदन है, उनके लिंक उपलब्ध हो जायेंगे। व्यापारी को जिस CST फॉर्म को डाउनलोड करना है उससे सम्बन्धित ऑफलाइन Excel फॉर्मेट विभागीय वेबसाइट से डाउनलोड करके सम्बन्धित विवरण को ऑफलाइन अंकित किया जाएगा। ऑफलाइन Excel फॉर्मेट में कमोडिटी कोड की फील्ड में वॉछित CST फार्म की वस्तु का कमोडिटी कोड अंकित किया जाएगा। तत्पश्चात उक्त Excel Format में Specific Commodities की फील्ड में उस Commodity को अंकित किया जायेगा, जिसके विरुद्ध फार्म-सी या अन्य CST फार्म जेनरेट / डाउनलोड किया जाना अपेक्षित है। इसके पश्चात लोगिन करके सम्बन्धित फाइल को अपलोड किया जाएगा। अपलोड करने के पश्चात समस्त विवरण ग्रिड में स्क्रीन पर उपलब्ध हो जाएगा। इस प्रकार समस्त विवरण को अंकित करके SUBMIT करने पर सम्बन्धित फॉर्म की PDF जेरनेट हो जाएगी और सम्बन्धित फॉर्म का प्रिंट आउट Reprint option से डाउनलोड करके उसका प्रयोग किया जा सकेगा। सभी CST फार्म्स (H, E 1, E 2, F, H, I) के लिए भी यही प्रक्रिया प्रभावी रहेगी।

7- कर अवधि की समाप्ति के उपरान्त व्यापारी द्वारा उक्त अवधि में किये गये केन्द्रीय सम्व्यवहारों तथा जेनरेट किये गये या डाउनलोड करके प्रयोग किये गये समस्त CST फार्म्स की सूची कर विवरणी एवं नियत एनेक्जर्स के साथ प्रस्तुत करनी होगी | वर्तमान में नियमानुसार जिन व्यापारियों द्वारा अभी भी ऑनलाइन E-return दाखिल न करके मैनुअली रिटर्न दाखिल किया जाता है, उन व्यापारियों को उनकी मॉग के आधार पर कर निर्धारण अधिकारी द्वारा कार्यालय से केन्द्रीय बिक्री कर के सभी फार्म मुद्रित रुप से प्राप्त कराये जायेंगे, ताकि छोटे व्यापारियों को कोई असुविधा न हो। मुद्रित CST फार्म प्राप्त करने वाले व्यापारी द्वारा कर अवधि की समाप्ति पर कर विवरण एवं नियत एजेक्जर्स नियमानुसार कर निर्धारण अधिकारी को प्रस्तुत किये जायेंगे।

अत: तद्नुसार अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

26.12.2014

(मृत्युंजय कुमार नारायण)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश।

पृष्ठांकन पत्र संख्या व दिनांक उक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- प्रमुख सचिव, कर एवं निबन्धन विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

2- संयुक्त सचिव, संस्थागत वित्त कर एवं निबन्धन अनुभाग, उ0प्र0 शासन, लखनऊ।

3- निदेशक, राजस्व व विशिष्ठ अभिसूचना, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।

4- अध्यक्ष / निबन्धक, उ0प्र0 वाणिज्य कर अधिकरण, लखनऊ एवं समस्त सदस्य।

5- प्रबन्धक, इसेंटिव पिकप, राणा प्रताप मार्ग / सहा0 निदेशक, वाणिज्य कर, प्रशिक्षण संस्थान गोमतीनगर, लखनऊ।

6- महालेखाकार, 171 ए अशोक नगर, इलाहाबाद।

7- समस्त आन्तरिक सम्परीक्षा दल, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

8- सीनियर डिप्टी एकाउन्टेन्ट जनरल, रेवेन्यू आडिट ब्रिगस्टेट आफ ए0जी0आडिट-11 सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद।

9- विकास आयुक्त, नोएडा ए सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन सेक्टर-10, नोएडा।

10- समस्त जोनल एडीशनल कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

11- अपर निदेश (प्रशिक्षण) वाणिज्य कर, गोमतीनगर, लखनऊ।

12- समस्त एडीशनल कमिश्नर ग्रेड-2 (वि0अनु0शा0) वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

13- समस्त ज्वाइंट कमिश्नर (कार्य0 / वि0अनु0शा0) वाणिज्य कर उत्तर प्रदेश।

14- समस्त कर निर्धारण अधिकारी वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

15- समस्त कर निर्धारण अधिकारी (ज्वा0कमि0(कारपोरेट) / डिप्टी कमिश्नर / असिस्टेंट कमिश्नर / वाणिज्य कर अधिकारी।

16- अध्यक्ष, उ0प्र0 टैक्स एडवोकेट वेलफायर एसो0 185 / 293 अमीनाबाद, उत्तर प्रदेश।

17- अधिशासी निदेशक, उद्योग बन्धु, सी-15 माल एवन्यू, लखनऊ।

18- श्री संदीप बंसल सदस्य राज्य स्तरीय वाणिज्य कर, सलाहाकार समिति, 12 बी, विधायक निवास, दारुलसफा, लखनऊ।

19- मर्चेन्ट चेम्बर आफ कामर्स, 14-26 सिविल लाइन्स कानपुर।

20- एसोशियेटेड चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इण्ड0, 4 / 180, विशाल खण्ड पी0वी-17 गोमतीनगर, लखनऊ।

21- पी0एच0डी0 चैम्बर ऑफ कामर्स इण्ड0-1ए-ला प्लास, शाहनजफ रोड, लखनऊ।

22- अवध चेम्बर आफ कामर्स एण्ड इन्ड0 द्वारा ब्राइट बेवी साइकिल इन्ड0, ऐशबाग रोड, लखनऊ।

23- आल इण्डिया मैन्यूफैक्चर्स आर्गेनाइजेशन, डी-4, साइट सं0-3मेरठ रोड इण्डस्ट्रीयल एरिया, गाजियाबाद।

24- कनफडरेशन आफ इन्डियन इण्ड0 एसोसिएशन, प्लान्ट-ए, विभूतिखण्ड, गोमतीनगर, लखनऊ।

25- राज्य स्तरीय सलाहकार समिति के सभी सदस्यों /सम्भागीय सलाहकार समिति के सदस्यों को सम्बन्धित ज्वाइंट कमिश्नर (कार्य0) के माध्यम से।

26- उत्तर प्रदेश प्रमुख लघु उद्योग भारतीय 10 इंजीनियर्स काम्पलेक्स, सुल्तानपुर रोड रायबरेली।

27- श्री शिवकुमार अरोडा, एडवोकेट महासचिव, उत्तर प्रदेश, टैक्सबार एसो0 जमुनाबिहार, एस0एस0 कालेज रोड खतौली जिला- मुजफ्फरनगर।

28- श्री मनीष शर्मा, ला एण्ड मैनेजमेन्ट हाऊस, आर-15/5 राजनगर गाजियाबाद।

29- श्रीमती इन्दु मिश्रा, इन्दु पब्लिकेशनस, RDC-51 राजनगर गाजियाबाद।

30- श्री मदन मोहन भारतीय, एडवोकेट सदस्य राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण उ0प्र0 शासन, 26 / 103, बिरहाना रोड, कानपुर ।

31- प्रो0डा0 सुरेन्द्र नाथ, डीन फैकल्टी आफ ला, बनारस हिन्दू यूनिवर्सिटी, बनारस ।

32- प्रो0 श्रीमती रंजना कक्कड, 15 टैगोर टाउन, इलाहाबाद ।

33- श्री बी0एन0राय, एडवोकेट, अध्यक्ष, दि यू0पी0 टैक्सबार एसो0 45 चन्द्रिका कालोनी, सिगरा, वाराणसी ।

34- श्री अशोक धवन, सीके-24 /1, कुँजगली, चौक, वाराणसी ।

35- श्री उमंग अग्रवाल जनरल सक्रेटरी (FITA) 77/3ए एन0के0 जैन मार्केट, कुलीबाजार, कानपुर ।

36- श्री नेकी राम गर्ग, अध्यक्ष पश्चिमी उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल, 707, पंचशील कालोनी महावीरचौक, मु0नगर ।

37- श्री बृत चावला, महासचिव (पश्चिमी क्षेत्र प्रभारी) उ0प्र0ट्रक आपरेटर्स, फेडरेशन (रजि0) पुलदान मण्डी, सहारनपुर ।

38- श्री आर0डी0 गुप्ता, एडवोकेट, आकाशपुरी कालोनी, इलाहाबाद ।

39- श्री शैलेश मिश्रा, महामंत्री , लोहा व्यापार मण्डल, उत्तर प्रदेश, 19- सुरेशबाग, कानपुर ।

40- इन्डियन इंड0 एसो0, 159/ए-8, 15 प्रकाश मार्केट, लाला लाजपत राय चौक, मु0नगर ।

41- संयोजक, टैक्सेशियो एकैडमिक एण्ड वेलफेयर फोरस एसो0 वेस्टर्न यू0पी0 (रजि0)52 नगर निगम कम्पाउन्ड कैसर बाग रोड, मेरठ ।

42-टैक्सेशन बार एसोसिएशन कार्मिशयल टैक्सबार रुम, जयपुर हाऊस, आगरा ।

43-श्री मलिक विजय कपूर, चेयरमैन, कानपुर इण्डस्ट्रियल डिवीजन को0प0स्टेट लि0-50-बी उद्योग नगर, कानपुर ।

44- श्री अनिल कुमार बंसल, दि0यू0पी0 रोलर फलोरमिलर्स, एसो0-3 एक्स, गोखले मार्ग, लखनऊ ।

45- श्री दिनेश अरोरा, उ0प्र0 वनस्पति प्रोडयूसर्स एसो0, 51 / 58-ए, शक्कर पट्टी, कानपुर ।

46- श्री नन्दलाल उपाध्यक्ष, उ0प्र0 टेंट व्यापार एसो0 565/566, राजेन्द्र नगर, लखनऊ ।

47- श्री अरुण कुमार अवस्थी, प्रान्तीय संगठन मंत्री, अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल (पंजी0)बी-29 विधायक निवास, दारुलशफा, लखनऊ ।

48- श्री गोपाल अग्रवाल राष्ट्रीय महामंत्री आल इण्डिया उद्योग व्यापार प्रतिनिधि मंडल 27-ए, मिशन कम्पाउण्ड, मेरठ ।

49- श्री दिनेश चन्द्र उपाध्यक्ष, उ0प्र0 कागज कापी व्यवसायी संघ, 6/6-ए,बी0एन0 रोड,अमीनाबाद, लखनऊ ।

50- अध्यक्ष, आई0आई0ए0 इण्डियन इंडस्ट्रीज एसोसिएशन भवन, विभूति खण्ड फेस-2, गोमतीनगर, लखनऊ ।

51- वैट लॉ जनरल, 10 नगर निगम कम्पाउन्ड, कैसरगंज रोड, मेरठ ।

52- श्री वीरेन्द्र कुमार अग्रवाल, मंडल उपपाध्यक्ष, अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल (पंजी0) मंडल कैम्प कार्यालय इमली वाला नोटरा, सादाबाद गेट, हाथरस ।

53- समस्त अनुभाग / अनुभाग अधि कारी, वाणिज्य कर मुख्यालय, लखनऊ ।

54- सचलदल अनुभाग मुख्यालय को 25 प्रतियाँ अतिरिक्त ।

26.12.14

(आर0के0 पाण्डेय)
ज्वाइंट कमिश्नर (फार्म) वाणिज्य कर,
मुख्यालय, लखनऊ ।

- 205 -M-farm